न्यायालय जिला कलक्टर,उदयपुर(राज.)

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **48/2012** (आवंटन निरस्ती)

श्री देवीलाल पिता भेरा तेली निवासी बुझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

.....**प्रार्थी**

बनाम

1. श्री डालु पिता हीरा तेली निवासी बुझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. श्रीमती बसन्ती बाई पत्नि डालु तेली, निवासी बुझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
3. राज्य जरिये उपजिला कलक्टर, गिर्वा, जिला उदयपुर
4. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

.....**विपक्षीगण**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 14(4) भु राजस्व अधिनियम बाबत् आवंटन निरस्त कराये जाने हेतु

उपस्थितिः–	1– श्री कन्हैयालाल चौर्डिया, अधिवक्ता प्रार्थी 2– श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता विपक्षीगण 3– श्री नरपतसिंह चुण्डावत, अधिवक्ता प्रार्थी नगर विकास प्रन्यास

निर्णय

दिनांकः–.....

प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र 14(4) भू राजस्व अधिनियम आवंटन निरस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 08.07.03 को मौजा बुझड़ा की आराजी संख्या 1565 रकबा 0.2000 हैक्टर भूमि का आवंटन फर्जी कानुन के खिलाफ किया गया। आवंटन के प्रार्थना पत्र की नकल लिये जाने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थना पत्र पर दिनांक 19.06.02 लिखा हुआ हैं। जिस पर हस्ताक्षर केवल विपक्षी संख्या 1 के ही हैं। आवंटन फार्म भी अधुरा भरा हुआ हैं। आवंटन किये जाने से पूर्व आवंटन कमेटी द्वारा ना तो आवेदन पत्र को पढा नाही देखा गया। पटवारी हल्का ने 1 साल पहले किसी फार्म पर डालचन्द के हस्ताक्षर करवा रखे एवं आवंटन कमेटी को धोखा देकर हस्ताक्षर करवा दिये। प्रत्यक्ष धोखादेही आवंटन कमेटी के साथ हुई हैं। आवंटन आम जनता के समक्ष नहीं हुआ।

गुप्त रूप से पटवारी हल्का ने अन्य फार्म के साथ धोखा देकर हस्ताक्षर करवा दिये। आवंटन का ज्ञान किसी को नहीं होने दिया। उक्त आवंटीत भूमि पर आज तक विपक्षी संख्या 1 व 2 का कोई कब्जा नहीं हैं। उक्त आवंटन फर्जी होने से पत्रावली को दबा दिया गया। जिसका अमलदरामद भी नहीं हुआ। भुमि हस्तान्तरण की कार्यवाही भी आवंटी को नहीं की गई। दिनांक 08.10.12 को विपक्षी संख्या 1 व 2 उक्त भूमि पर कब्जा करने आये तो इस फर्जी आवंटन का ज्ञान हुआ। मौके पर प्रार्थी का लगभग 30 वर्षो से भी अधिक पुराना कब्जा हैं। पुराने कोट व बाड़ बनी हुई हैं। इसी भूमि में पशुओ को चराता हैं। इस फर्जी आवंटन से प्रार्थी को विपक्षी बेदखल करने हेतु आमादा हैं। आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम किया गया आवंटन खारीज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली हैं। विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 4 द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का यह कथन बिल्कुल गलत है कि विपक्षी को फर्जी आवंटन किया गया। किया गया आवंटन आवंटन कमेटी द्वारा नियमानुसार किया गया हैं। आवंटन के दिन से ही कथित आवंटन का प्रार्थी को ज्ञान था। परन्तु इस आवंटन से प्रार्थी का कोई संबंध नहीं होने से उसके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब 9 वर्षो बाद जानबुझकर मिथ्या आधारो पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी स्वयं फर्जी व्यक्ति हैं। जो विपक्षीगण को जलील व परेशान करने के लिये तुला हुआ हैं। जबकि विवादग्रस्त जमीन से प्रार्थी का कोई संबंध नहीं हैं। आवंटन फार्म पर पत्नि के हस्ताक्षर होना आवश्यक नहीं हैं। नाही वक्त आवंटन पत्नि का होना भी आवश्यक हैं। आवंटन फार्म पर पटवारी हल्का द्वारा विधिवत जॉच की गई। जॉच के पश्चात् आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए विपक्षी संख्या 1 व 2 के हक में आवंटन किये जाने की सहमती दी हैं। उसी सहमति के आधार पर उपजिला कलक्टर गिर्वा द्वारा कथित भुमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 व 2 के हक में किया गया। आवंटन जलसे आम में आवंटन कमेटी द्वारा किया गया। आवंटन की दिनांक से ही आराजी संख्या 1565 रकबा 0.2000 हैक्टर पर कब्जा निरंतर चल रहा हैं। जमीन का उपयोग उपभोग किया जाता रहा हैं। विपक्षी गरीब काश्तकार हैं व अनपढ व्यक्ति हैं। जबकि प्रार्थी पैसे वाला होकर बहुत ही होशियार व्यक्ति

हैं। वह जानबुझकर विपक्षी को डराकर उससे पैसे ऐंठना चाहता हैं। ऐसा गलत प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद प्रार्थी विपक्षी के पास आया व कहा कि मुझे 50,000/– रूपये दे दो तो यह प्रार्थना पत्र विड्रो कर लुंगा अन्यथा मैं आवंटन निरस्त करा दुंगा। प्रार्थी ने ही कथित आवंटन की फाईल दबा दी हैं तथा वह कह रहा है कि मैं इस जमीन को आपके खाते नहीं होने दुंगा। प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 को ब्लेकमेल करता रहा हैं। इस भुमि पर प्रार्थी का इंच मात्र जमीन पर कब्जा नहीं हैं। तो उन्हें बेदखल करने पर आमादा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। प्रार्थी द्वारा जानबुझकर गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे सहित खारीज फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 को प्रार्थी से 25,000/– रूपये दिलाये जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा बुझड़ा की आराजी संख्या 1565 रकबा 0.2000 हैक्टर भुमि विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटन कमेटी द्वारा गलत रूप से आवंटन की गई हैं। पटवारी हल्का द्वारा आवंटन कमेटी से अन्य आवंटन फार्मो के साथ में गलत रूप से आवंटन कमेटी के सदस्यो से आवंटन करवा आवंटन पत्रावली को दबा दिया गया। जबकि उक्त भूमि पर कब्जा पिछले 30 वर्षो से प्रार्थी का हैं। इस आवंटन की आड़ में अब 7 वर्ष पश्चात् विपक्षी संख्या 1 व 2 प्रार्थी को इस भुमि से बेदखल करने हेतु आमादा हैं। आवंटन के बाद में इस भूमि का कब्जा सिपुर्दगी भी आवंटी को नहीं किया गया। नाही अमल दरामद भी राजस्व रेकार्ड में किया गया हैं। महज पटवारी हल्का द्वारा किसी डालचन्द व्यक्ति के नाम से भरे हुए आवेदन पत्र में विपक्षी का नाम अंकन कर भूमि का आवंटन करवा लिया गया। जो काबिले निरस्त हैं। अतः ऐसे फर्जी आवंटन को निरस्त कराना फरमावें।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थी के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि आवंटन कमेटी द्वारा विधिवत विपक्षी संख्या 1 व 2 को जलसे आम में आंवटन की राय दी गई। जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन के हस्ताक्षर किये गये। प्रार्थी स्वयं फर्जी व्यक्ति हैं जो विपक्षी संख्या 1 व 2 को ब्लेकमेल करता हैं। 50,000/– की मांग की गई। जो नहीं दिये जाने पर फर्जी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जलील व परेशान किया जा रहा हैं। जबकि इस आवंटीत भूमि पर इंच मात्र कब्जा प्रार्थी का नहीं हैं। आवंटन दिनांक से ही इस भूमि पर कब्जा विपक्षीगण का ही हैं। विपक्षी को इस आवंटन का ज्ञान आवंटन दिनांक से ही था। परन्तु प्रार्थी के अनपढ़ व समझदार नहीं होने का नाजायज फायदा उठाकर उसको डराकर पैसा ऐंठना चाहता है तथा प्रार्थी द्वारा ही यह धमकी दी गई कि भूमि को खाते नहीं होने दुंगा जिसके द्वारा आज दिनांक

तक इस भूमि को खाते नहीं होने दिया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मनगढंत बाते लिखी गई है जबकि आवंटन के दिन विपक्षी स्वयं आवंटन कमेटी के समक्ष उपस्थित था। पत्नि का उपस्थित होना या उसके फार्म पर हस्ताक्षर होना कतई आवश्यक नहीं है परन्तु सरकारी नियमानुसार भूमि का आवंटन पति पत्नि दोनो के नाम होता हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षी के उपस्थित होने पर आवंटन दोनो के नाम हुआ। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत हैं जिसे खारीज कराना फरमावें।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 4 द्वारा निवेदन किया कि वादग्रस्त भुमि वर्तमान में नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के खाते में दर्ज हैं। नाही तो यह भूमि प्रार्थी के नाम है नाही यह भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज हैं। न्यास की भूमि पर डालचन्द पिता हिरालाल तेली द्वारा पत्थर डालकर कब्जा करने की कोशिश की गई जिसे न्यास द्वारा अपने प्रकरण संख्या 32/16 निर्णय दिनांक 15.02.16 को विधिवत अतिक्रमि को बेदखली के आदेश पारित किये गये। भूमि को पुनः न्यास के कब्जे में ली गई। वर्तमान में भूमि न्यास के खाते में होने से एवं कथित भूमि न्यास के पैराफेरी में होने एवं किस्म बिलानाम सरकार होने के कारण इस भूमि पर यदि किसी के द्वारा कब्जा करने की चेष्टा की जाती है तो ऐसे कब्जेधारी के विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही की जाकर उसे बेदखल किया जावेगा। यदि ऐसा कोई आवंटन आदेश जारी किया गया हो तो भी काबिले निरस्ती के हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त कराना फरमावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अध्ययन किया गया। बहस पर मनन एवं संलग्न दस्तावेजो के अवलोकन के उपरान्त न्यायालय का मत है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटन कमेटी द्वारा मौजा बुझड़ा की आराजी संख्या 1565 रकबा 0.2000 हैक्टर भूमि का आवंटन, आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 08.07.03 को किये जाने की अनुशंषा की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ में मुल आवंटन आवेदन पत्र के अलावा कोई भी दस्तावेज लगा हुआ नहीं हैं। मुल आवेदन पत्र भी 2 चरणो में भरा हुआ हैं। जिस पर दिनांक 19.06.02 अंकित हैं। जिस पर किसी डालचन्द नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं। जबकि आवंटन किसी डालु के नाम पर किया गया हैं। जबकि बसन्तीबाई का नाम बाद में अन्य पेन से अंकित किया गया हैं। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी दो चरणो में फार्म पर अंकित हैं। जो स्वयं ही संदेह पैदा करती हैं। आवंटन के पश्चात् ना तो भूमि का विधिवत कब्जा दिया गया है नाही इस भूमि का अमल दरामद राजस्व रेकार्ड में किये जाने के आदेश ही जारी हुए हैं। नियमानुसार आवंटी को आवंटीत भूमि की सनद भी जारी नहीं हुई हैं।

संलग्न जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 में यह भूमि नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के खाते में दर्ज हैं इससे भी प्रथम दृष्ट्या यह जाहीर होता है कि इस भूमि पर कब्जा आज दिन तक किसी का नहीं रहा हैं। यदि आवंटन को विधिवत भी माना जावे तो भी कब्जा विपक्षी संख्या 1 व 2 का नहीं रहने से इस भूमि को विपक्षी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश कतई नहीं दिये जा सकते हैं। अपने जवाब में इस भूमि पर कब्जा होना तो जाहीर किया है परन्तु आज दिनांक तक कब्जा होने की पुष्टी में कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। संलग्न पत्रावली न्यायालय तहसीलदार नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के प्रकरण संख्या 25/16 के निर्णय 15.02.16 का अवलोकन किया गया जिससे जाहीर होता है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा अब जाकर इस भूमि पर जबरन कब्जा किये जाने की मंशा से पत्थर डाले गये थे। जिसे न्यायालय तहसीलदार नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा विधिवत सुनवाई कर विपक्षी संख्या 1 को अतिक्रमी माना जाकर भूमि को पुनः न्यास के कब्जे में लिया गया। जिससे स्पष्ट जाहीर होता है कि इस भूमि पर कब्जा ना तो प्रार्थी का रहा है और नाही विपक्षी संख्या 1 व 2 का रहा हैं। विपक्षी संख्या 1 व 2 को जो आवंटन किया गया है वह भी देखने पर प्रथम दृष्ट्या संदेहास्पद हैं। ऐसी स्थिति में मौजा बुझड़ा की आराजी संख्या 1565 रकबा 0.2000 हैक्टर भूमि का आदेश एडवाईजर कमेटी तहसील गिर्वा के आदेश दिनांक 08.07.03 जो कि विपक्षी संख्या 1 डालु पिता हिरा व बसन्तीबाई पत्नि डालु के पक्ष में अलोट करने की जो अनुमति दी गई है उसे निरस्त किया जाता हैं। भूमि वर्तमान में नगर विकास प्रन्यास के खाते में दर्ज है जो यथावत रहेगी।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारीज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें एवं निर्णय की एक एक प्रति तहसीलदार गिर्वा एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर